मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ. 6-2/95/1/9 भोपाल, दिनांक 29 मई, 1995

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषय :—स्थानांतर नीति-शासकीय सेवा में कार्यरत पति-पत्नी की एक ही स्थान पर पदस्थापना.

संदर्भ :—इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ. 6-5/94/9/1, दिनांक 10-8-94.

उपरोक्त संदर्भित ज्ञापन द्वारा शासकीय कर्मचारियों के स्थानांतरों के विषय में इस निर्णय से सभी विभागों को अवगत कराया गया था कि प्रत्येक विभाग अपनी सुविधा अनुसार स्थानांतरण नीति तय करें. कुछ विभागों द्वारा निर्धारित स्थानांतरण नीति आदेशों में यह प्रावधान संभवतः नहीं शामिल किया गया है कि यदि किसी शासकीय सेवक की पत्नी/पति एक ही स्थान पर पदस्थापना के लिये अनुरोध करें तो यथासंभव प्रशासकीय सुविधा एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक ही स्थान पर पदस्थापना देने का प्रयास किया जाना चाहिए.

2. सभी विभागों से अनुरोध है कि अपने विभाग की स्थानांतरण नीति में ऐसा प्रावधान शामिल करें कि यथा संभव प्रशासकीय हित और जनहित को ध्यान में रखते हुए पति/पत्नी को एक साथ पदस्थापना मिल सके. यह स्पष्ट किया जाए कि इस प्रावधान के आधार पर किसी शासकीय सेवक को ऐसी पदस्थापना पाने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा परन्तु उसकी प्रार्थना को विभाग द्वारा पूर्ण सहानुभूति पूर्वक विचार कर निर्णय लिया जाएगा.

हस्ता/-
(सुभाष डाफणे)
अवर सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्रमांक एफ 6-2/95/1/9 भोपाल, दिनांक 29 मई, 1995

प्रतिलिपि :—

1. पंजीयक, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर.
2. सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल.
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर.
4. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल.
5. राज्यपाल महोदय के सचिव, मध्यप्रदेश, भोपाल.
6. माननीय मुख्यमंत्री के सचिव, मध्यप्रदेश, भोपाल.
7. समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव.
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर.
9. प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के स्टाफ आफिसर.

10. अवर सचिव मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (वेतन आयोग प्रकोष्ठ) को उनके पत्र क्रमांक 439/160/1/वेआप्र/95, दिनांक 9 मई 1995 के संदर्भ में सूचनार्थ.

11. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (शा. क. क. सं.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

हस्ता/-
(सुभाष डाफणे)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.